


फर्द अहकाम

मनफूल बनाम चतुर्भुज वगै०

दा: 20/2008

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित उपस्थित। वहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सांगानेर से पत्रावली रिपोर्ट प्राप्त हुई, उक्त उनवानी प्रकरण आराजियात का मौका निरीक्षण किये जाने पर सम्पूर्ण भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना नारायण विहार सृजित होने तथा सम्पूर्ण भूमि पर आवासीय मकान होने से भूमि का अकृषि उपयोग होने के कारण कुर्रजात रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव नहीं होने की अनुशंसा सहित पालना रिपोर्ट भिजवाई गयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (हिम्मत सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर</p>	

